

डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX "D"-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरु

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर0ए0एस0

1. राजूसिंह पुत्र गिरधारीसिंह }
2. बालूसिंह पुत्र शिवभगवान }

जाति दरोगा निवासीगण झारिया
तहसील व जिला चूरु

-वादीगण-

बनाम

1. रामेश्वर पुत्र गुमानसिंह कथित पुत्र प्रभूसिंह जाति दरोगा निवासी सेऊवा तहसील राजगढ जिला चूरु
2. सतवीर पुत्र उमाराम सहारण जाति जाट निवासी सेऊवा तहसील राजगढ जिला चूरु
3. संजय पुत्र आदूराम जाति जाट निवासी खुड्डी तहसील राजगढ जिला चूरु
4. भंवरी पुत्री गिरधारीसिंह जाति दरोगा निवासिनी कमालसर तहसील जिला झुन्झुनू
5. गोदावरी पुत्री गिरधारीसिंह जाति दरोगा निवासिनी नीमा तहसील राजगढ जिला चूरु
6. हीरा पुत्री गिरधारीसिंह जाति दरोगा निवासिनी नीमा तहसील राजगढ जिला चूरु
7. कमला पुत्री गिरधारीसिंह जाति दरोगा निवासिनी कुमासिया तह0 व जिला नागौर
8. मैना पत्नी शिवभगवान }
9. किशनसिंह पुत्र शिवभगवान }
10. भानीसिंह पुत्र शिवभगवान }
11. सन्तोष पुत्री शिवभगवान जाति दरोगा निवासिनी पीथीसर तहसील व जिला चूरु
12. विनोद पुत्री शिवभगवान जाति दरोगा निवासिनी रायपुरिया तहसील व जिला चूरु
13. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, चूरु

जाति दरोगा निवासीगण झारिया
तहसील व जिला चूरु

-प्रतिवादीगण-



दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 334 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रुबरु हमारे हाजरी श्री चन्द्रप्रकाश राजपाल एडवोकेट वादीगण, मिनजानिब मुदईब व श्री ललित गौतम एडवोकेट प्रतिवादी सं. 1 से 3 मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अन्तिम डिक्री दी जाती है

कि:-

उपखण्ड अधिकारी

चूरु

तनकी नं. 1 व 2 वादीगण के विरुद्ध एवं तनकी नं. 3 से 6 प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पक्ष में निर्णित होने से दावा वादीगण अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 27 माह मार्च सन् 2019 को जारी की गई।



(श्वेता कोचर)
जिला न्यायाधीश, पंचकुला